

Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited

Corporate Identity Number: U67100MH2007PLC174759
Registered Office: Edelweiss House, Off. CST Road, Kalina, Mumbai - 400 098
Tel: +91-22-4183 0600 Fax: +91-22-4183 0780 Website: www.edelweissarc.in E-mail: earc.cs@edelweissarc.in
Statement of Standalone Financial Results for the Quarter ended September 30, 2022
Regulation 52 (8) read with Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

(₹ in Millions except per share information)

Particulars	Quarter Ended September 30, 2022 (Unaudited)	September 30, 2021 (Unaudited)	Year Ended March 31, 2022 (Audited)
1 Total income from Operations	2,468.97	2,312.84	8,992.70
2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,013.74	947.03	3,429.63
3 Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,013.74	947.03	3,429.63
4 Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	748.19	698.11	2,526.72
5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	747.31	698.11	2,523.20
6 Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10/- each)	2,632.53	2,631.58	2,632.53
7 Reserves (excluding Revaluation Reserve)	23,528.74	20,793.80	22,124.02
8 Securities Premium Account	5,777.93	5,770.14	5,777.93
9 Net worth ¹	26,161.27	23,425.38	24,756.55
10 Paid-up Debt Capital / Outstanding Debt	29,818.13	35,250.55	33,273.28
11 Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-
12 Debt Equity Ratio ²	1.14	1.50	1.34
13 Earnings Per Share (₹) (Face Value of ₹ 10/- each)			
- Basic (Not annualised)	2.84	3.13	10.52
- Diluted (Not annualised)	2.84	2.65	10.52
14 Capital Redemption Reserve	-	-	-
15 Debtenture Redemption Reserve	630.62	884.38	630.62
16 Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ³	0.16	0.37	1.01
17 Interest Service Coverage Ratio (ISCR) ⁴	1.95	1.84	1.75

¹Net worth = Share capital + Reserves & Surplus
²Debt-equity Ratio = (Debt securities + Borrowings (other than debt securities)) / Net Worth
³DSCR = Profit before interest and tax / (Interest expense + Principal Repayment in next 12 months)
⁴ISCR = Profit before interest and tax / Interest expense

Notes:

1 The above is an extract of the detailed format of quarterly / annual financial results filed with the Stock Exchanges in accordance with Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended and the Accounting Standards specified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended and the relevant provision of the Companies Act, 2013, as applicable. The full format of quarterly / annual financial results are available on the websites of the BSE Limited and the Company's website (www.edelweissarc.in).

2 For the other line items referred in Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, the pertinent disclosures have been made to the BSE Limited and can be accessed on the Company's website - www.edelweissarc.in.

3 The financial results of the Company for the quarter ended September 30, 2022 are reviewed and recommended by the Audit Committee and have been approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on November 04, 2022.

4 During the half year ended September 30, 2022, post receipt of approval from RBI, Edelweiss Securities Limited ("ESL") transferred 6,89,09,148 equity shares to Edelweiss Securities and Investment Private Limited ("ESIP"). ESIP holds 9,38,96,725 equity shares representing 35.668% of total paid up equity share capital of the Company and ESL ceases to be the shareholder of the Company. Post transfer, Edelweiss Securities and Investment Private Limited has become one of the sponsors of the Company.

5 The Company operates in a single reportable operating segment of distressed credit business as per the requirement of Ind AS 108 - Operating Segment.

6 Reserve Bank of India (RBI) requires every Asset Reconstruction Company to create an Impairment Reserve by appropriating the difference between impairment allowance under Ind AS 109 and the provisioning required under earlier applicable Income Recognition, Asset Classification and Provisioning (IRACP) guidelines (including standard asset provisioning) from its Reserves to the said Impairment Reserve. Accordingly, the Company has created Impairment Reserve from its Reserves.

7 Figures for the previous period/year have been regrouped/reclassified wherever necessary to conform to current period/year presentation.

For and on behalf of the Board of Directors of
Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited

Sd/-
Rajkumar Bansal
Managing Director and Chief Executive Officer
DIN: 00122506



KRISHANA PHOSCHEM LIMITED

5-O-20, Basement, R.C. Vyas Colony, Bhilwara (Raj.) INDIA

Website: www.krishnaphoschem.com Email: secretarial@krishnaphoschem.com;

CIN: L24124RJ2004PLC019288

Unaudited Financial Results For the Quarter & Half Year Ended 30th September 2022

[Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

(Rs. in Lakh)

S. No.	Particulars	Quarter ended			Half Year Ended		
		30.09.2022	30.06.2022	30.09.2021	30.09.2022	30.09.2021	31.03.2022
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income From Operation	6,501.44	6,718.33	7,853.77	13,219.77	13,172.96	32,076.28
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,179.72	730.89	646.33	1,910.61	1,585.75	4,278.27
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,179.72	730.89	646.33	1,910.61	1,585.75	4,278.27
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	977.21	609.82	428.70	1,587.03	1,077.36	2,946.33
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	977.21	609.82	428.70	1,587.03	1,077.36	2,945.22
6	Equity Share Capital	3,091.38	2,963.88	2,740.00	3,091.38	2,740.00	2,963.88
7	Other Equity (Reserves)				-	-	19,139.54
8	Earning Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) (not annualised)						
1. Basic		3.25	2.06	1.60	5.32	3.99	10.50
2. Diluted		3.16	2.04	1.56	5.13	3.93	10.42

Note :

a) The unaudited financial results of the company for the quarter & half ended September 30, 2022 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meetings held on 4th November, 2022 . The same have also been subjected to Limited Review by the Statutory Auditors.

b) The above financial results are prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("INDAS") as prescribed under section 133 of the companies Act, 2013 read with relevant rules issued there under.

c) The above is an extract of the detailed financial results for the quarter and half year ended 30th September 2022 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Half Yearly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange www.nseindia.com and Company's websites www.krishnaphoschem.com.

For and behalf of the Board of Directors

Sd/-
(Sunil Kothari)

CFO

DIN : 02056569

Date:- 4th November, 2022

Place:- Bhilwara

SARDA PAPERS LIMITED

CIN: L5110MH1991PLC061164

Regd. Office & Works: Plot No. A/70, MIDC, Sinnar, Dist. Nashik - 422103 (Maharashtra)

Admin Office: 1003-04, Centrum, Wagle Estate, Thane - 400 604

Extract of Standalone un-audited Financial Result for the Quarter ended 30th September, 2022

(Rs. Lacs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended	Quarter Ended	Quarter Ended	Year Ended
		30.09.2022 Un-Audited	30.06.2022 Un-Audited	30.09.2021 Unaudited	31.03.2022 Audited
1	Total income from operations	0.06	2.64	0.00	0.91
2	Net Profit/ (Loss) from Ordinary Activities before exceptional items and Tax	-3.46	-4.40	0.50	-10.32
3	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	-3.46	-4.40	-0.50	-10.32
4	No. of Equity Share	311.89	311.89	311.89	311.89
5	Earning Per Share (of Re. 1/-each)				
Basic		-0.1100	-0.1400	-0.0200	-0.33
Diluted		-0.1100	-0.1400	-0.0200	-0.33

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Un-Audited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI(Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and approved at the Board Meeting Held today i.e. 4th November, 2022.

For SARDIA PAPERS LIMITED

Sd/-

RAJSHEKHAR NAIR

Director

DIN: 01278041

Place: Mumbai

Date: 04-11-2022



HDFC Life Insurance Company Limited

CIN : L65110MH2000PLC128245

Registered Office: 13th Floor, Lodha Excelus, Apollo Mills Compound, N.M. Joshi Marg, Mahalaxmi, Mumbai - 400 011

Ph: 022-67516666, Fax: 022-67516861

Email: investor.service@hdfclife.com, Website: www.hdfclife.com

NOTICE

NOTICE OF AMALGAMATION OF EXIDE LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED INTO AND WITH HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

We refer to the Scheme of Amalgamation of Exide Life Insurance Company Limited, the Transferor Company into HDFC Life Insurance Company Limited, the Transferee Company (the "Scheme") under Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 (the "Act"), read with Sections 35 to 37 of the Insurance Act, 1938.

Notice is hereby given that:

- The Hon'ble National Company Law Tribunal ("NCLT"), Mumbai Bench, vide its hearing dated September 16, 2022 has sanctioned the Scheme; and
- The Insurance Regulatory and Development Authority of India ("IRDAI") vide its letter dated October 13, 2022 has accorded its final approval for the Scheme in accordance with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Scheme of Amalgamation and Transfer of Life Insurance Business) Regulations, 2013.

Consequent to the above, and further to the filing of relevant forms with the Ministry of Corporate Affairs, Exide Life Insurance Company Limited stands dissolved without winding-up and also ceases to be subsidiary of the Company. The Appointed Date of the Scheme is April 1, 2022 and the Scheme is effective from end of day on October 14, 2022.

Upon coming into effect of the Scheme and with effect from the Appointed Date and subject to the provisions of the Scheme, the Transferor Company stands amalgamated into the Transferee Company and its Undertaking shall, pursuant to the sanction of the Scheme by the NCLT pursuant to the provisions of Sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Act, and receipt of the final approval from the IRDAI, stands transferred to and vested in and/ or deemed to have been transferred to and vested in the Transferee Company, as a going concern, without any further act, deed, instrument, matter so as to become, as and from the Appointed Date, as mentioned above, the undertaking of the Transferee Company by virtue of and in the manner provided in the Scheme.

This notice is issued pursuant to the direction given by IRDAI in relation to the Scheme. All the necessary documents related to the Scheme have been hosted on the Transferee Company's website at <https://www.hdfclife.com/about-us/investor-relations>.

We are committed to business as usual and the Scheme will not have any impact on the terms and conditions of policy(ies) issued by the erstwhile Exide Life Insurance Company Ltd.

For HDFC Life Insurance Company Limited

Sd/-

Narendra Gangan

General Counsel, Chief Compliance Officer & Company Secretary

ACS 11770

Date: November 6, 2022

Place: Mumbai



CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED

CIN - L65921MH1994PLC173469

Regd. Office : 502, Tower-A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013 e-mail: investor.relation@capriglobal.in, Website : www.caprilife.in, Tel No. - +91 22 40888100 Fax No. - +91 22 40888170

Extracts of Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter ended September 30, 2022

(Rs in Millions)

Sl.No	Particulars	Quarter ended	Quarter ended	Year ended
		30.09.2022 (Unaudited)	30.09.2021 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)
1	Total Income from operations (Net)	3,455.89	2,221.93	9,803.13
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	806.14	704.25	2,726.23
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	806.14	704.25	2,726.23
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	562.59	524.52	2,050.41
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive Income (after tax)]	765.70	521.49	2,045.49
6	Equity Share Capital	351.49	350.71	351.31
7	Other equity	20,062.48	17,747.17	18,873.44
8	Earnings per share (not annualised for quarter)			
Basic (Rs.)		3.20	2.99	11.69
Diluted (Rs.)		3.16	2.97	11.56

Extracts of Unaudited Standalone Financial Results for the quarter ended September 30, 2022

(Rs in Millions)

Sl.No	Particulars	Quarter ended	Quarter ended	Year ended
		30.09.2022 (Unaudited)	30.09.2021 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)
1	Total Income from operations (Net)	2,690.81	1,757.83	7,634.73
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	613.42	566.34	2,169.25
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	613.42	566.34	2,169.25
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	408.30	414.53	1,618.84
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive Income (after tax)]	492.61	412.93	1,615.63
6	Equity Share Capital	351.49	350.71	351.31
7	Other equity	18,355.61	16,658.53	17,543.22
8	Earnings per share (not annualised for quarter)			
Basic (Rs.)		2.32	2.36	9.23
Diluted (Rs.)		2.30	2.34	9.13

- Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind AS Rules

Notes:

- The above consolidated and standalone financial results of the Company have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on November 4, 2022.
- The consolidated and standalone financial results of the Company for the quarter ended September 30, 2022 are in compliance with Indian Accounting Standards (Ind AS) as notified by the Ministry of Corporate Affairs and have been reviewed by the statutory auditors of the Company.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Results filed with BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Results are available on the websites of the stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and Company's website www.caprilife.in

On behalf of the Board of Directors

Sd/-

Rajesh Sharma

Managing Director

(DIN - 00020037)

Place: Mumbai

Date: November 4, 2022

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

indianexpress.com

The Indian EXPRESS

JOURNALISM OF COURAGE

I choose substance over sensation.

Inform your opinion with credible journalism.

The Indian Express.

For the Indian Intelligent.

EMERALD COMMERCIAL LIMITED

Regd. Off. : 18, Rabindra Sarani, Poddar Court Gate No. 4, 4th Floor, Room No.4, Kolkata-700 001

Email Id: emerald.com@gmail.com

CIN: L29299WB1983PLC036040

NOTICE

Notice is hereby given that Pursuant to Regulation 29 (1) (a) read with Regulation 47 (1) (a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) a meeting of the Board of Directors of EMERALD COMMERCIAL LIMITED will be held at the registered office of the Company on **Monday, 14th November, 2022 at 4.15 P.M.**, inter alia, to consider and approve Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2022. In this connection, as informed earlier pursuant to "Company's Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading" read with the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, as amended, Trading Window for dealing in the securities of the Company shall remain closed upto 48 hours of declaration of the results of the company to the Stock Exchanges for all designated persons their immediate relatives and all connected persons covered under the aforesaid code.

By Order of the Board

For EMERALD COMMERCIAL LIMITED

Sd/-
Indrajit Sengupta
Director
DIN: 03581182

Place: Kolkata

Dated: 05/11/2022

financial.exp.in

New Delhi

संपादकीय

केवल ब्याज दर वृद्धि पर्याप्त नहीं, आपूर्ति तंत्र का मांग के साथ संतुलन उचित मूल्य पर आवश्यक

कुभाग्य

भारत सरकार व रिजर्व बैंक के बीच सही तालमेल व नीतिगत क्रियान्वयन से ही देश मुद्रा प्रसार दर पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। संपूर्ण विश्व आज मुद्रा प्रसार दर के दबाव से त्रस्त है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी करीब करीब ऐसा ही संकेत दे दिया है कि फेडरल रिजर्व ने बैठक में 0.75 प्रतिशत ब्याज दर की वृद्धि की है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को इस संबंध में यह हस्तक्षेप करना पड़ा है और अब रिजर्व बैंक से कहा गया है कि वह अपनी नीतिगत विफलता से सरकार को अवगत कराएं तथा दोनों को मिलकर मुद्रा प्रसार दर को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। अधिकांश आर्थिक विशेषज्ञ केवल विश्व स्तर पर ब्याज दर वृद्धि को ही मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने का एक शस्त्र मानते रहे हैं, लेकिन अनेक बार उन्हें इस संदर्भ में विफलता का भी सामना करना पड़ा है। केवल ब्याज दर वृद्धि ही मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्योंकि ब्याज दर वृद्धि के बावजूद आज भारत, अमेरिका, यूरोप व ब्रिटेन में मुद्रा प्रसार दर को बढ़ते देखा जा सकता है। ब्याज दर बढ़ने से यह आंकलन किया जाता है कि घरेलू मांग कम होगी। वस्तुओं की उपलब्धता जस की तस रहेगी और इससे मांग व आपूर्ति के स्तर पर संतुलन स्थापित हो जाएगा तथा मुद्रा प्रसार दर कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा अनेक बार संभव नहीं हो पा रहा है। वर्तमान संकट के लिए विश्व स्तर पर रूस व यूक्रेन का युद्ध भी कुछ हद तक जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसके चलते खाद्य पदार्थों की आपूर्ति प्रभावित हुई है। यातायात माल ढुलाई प्रभावित हुई है। विश्व स्तर पर समुद्री यातायात के मार्गों में बाधा उत्पन्न हुई है। अमेरिका व मित्र देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों से भी परस्पर तनाव बढ़ने के साथ तेल गैस के मूल्य में आपूर्ति बाधित होने से तेजी से वृद्धि हुई है। इससे विष्व स्तर पर उत्पादन व आपूर्ति प्रभावित हुई है। इस मुद्रास्फीति के अनेक कारण हो सकते हैं। केवल ब्याज दर वृद्धि ही इस स्फीति के

मुद्रा प्रसार नियंत्रण

आकार को कम करने में सक्षम नहीं है। यह तो अब सभी केन्द्रीय बैंक व सरकारों भी महसूस कर रही हैं। आज भारतीय रिजर्व बैंक व मौद्रिक समीक्षा समिति के समक्ष भी अब आत्म विश्लेषण व निरीक्षण का समय आवश्यक आ गया है और इन संस्थाओं को सही अर्थों में सरकार के साथ मिलकर ही निर्णयों का क्रियान्वयन करना होगा। रिजर्व बैंक ने शुरू से ही 2-6 प्रतिशत मुद्रा प्रसार दर का लक्ष्य तय कर रखा है, लेकिन गत छह माह की अवधि में मुद्रा प्रसार दर बढ़कर 7-8 प्रतिशत के स्तर को छू गई है। भारत के संदर्भ में भी खनिज तेल मूल्य वृद्धि, कोविड के दबाव से नागरिकों का गांवों की ओर पलायन तथा देश के औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र में व्यापक स्तर पर उत्पादन में गिरावट भी मुद्रा प्रसार दर वृद्धि का कारण बना है। विपक्ष व आलोचक बेशक सरकार पर रुपए की कमजोरी मुद्रा प्रसार दर वृद्धि का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वे जान-बूझकर धरातल पर उन कारणों की भी अनदेखी कर रहे हैं, जिनके कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है। आपूर्ति तंत्र में बाधा उत्पन्न हुई है। व्यक्तित्व का क्रय शक्ति प्रभावित हुई है। वर्ष 2020 के दौरान ही लगातार तीन तिमाहियों के दौरान देश की मुद्रा प्रसार दर लक्ष्य से अधिक स्तर को छू गई थी और तत्काल कार्य योजना की शुरुआत तो रिजर्व बैंक व भारत सरकार के स्तर पर परस्पर समन्वय के साथ उसी समय हो जानी चाहिए थी। यह समय संपूर्ण देश के स्तर पर औद्योगिक उत्पादन प्रभावित होने नागरिकों के पलायन से उत्पन्न हालात का भी असर था। निश्चित रूप से उस समय की मुद्रा प्रसार दर वृद्धि मुख्य रूप से कोविड के दुष्परिणामों के कारण हुई थी। उस समय की मुद्रा प्रसार दर वृद्धि को लेकर आम आमदी भी अधिक उत्तेजित नहीं था, क्योंकि वह कोविड की हकीकत व सरकार की परेशानी को भलि-भांति समझता था। उस समय संपूर्ण विश्व के स्तर पर उदार नीति मुद्रा के प्रसार के संदर्भ में देखी गई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व, यूरोपीय केन्द्रीय बैंक भी इस उदार मुद्रा नीति के ध्वज वाहक

बने थे और भारतीय रिजर्व बैंक को भी इसी संदर्भ में कार्य करना पड़ा था। संपूर्ण विश्व यह मानता था कि कोविड नियंत्रण के साथ मुद्रा प्रसार दर भी नियंत्रित हो जाएगा। आमतौर पर जब मुद्रा प्रसार दर मांग के कारण बढ़ती है तो मौद्रिक नीति के निर्णय अधिक सार्थक सिद्ध होते हैं। उस समय आपूर्ति तंत्र पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है और यही कारण है कि देश में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नई ऊंचाई को छू गया था और यह लगातार ऊंचाई पर ही रहा है। रिजर्व बैंक ने इसी संदर्भ में शुरूआती स्तर पर पर्याप्त नकद तरलता बाजार में प्रवाहित की, रेपो दर में कटौती भी की और महिनों तक बाजार में अतिरिक्त नकद तरलता ठीक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरह ही भारत में भी 6-8 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर रही थी और इसके चलते भारत ने तेजी से आर्थिक विकास की दिशा में भी कदम रखा और भारत इस कोविड के दबाव से जल्दी बाहर निकलने में भी सफल हो गया था। निश्चित रूप से खाद्य पदार्थों व ईंधन की मुद्रा प्रसार दर ही वृद्धि का मूल कारण रही है और यह वृद्धि मुद्रा नीति में ब्याज दर वृद्धि से प्रभावित नहीं होती है। भारत के उद्योग में भी सर्वाधिक हिस्सेदारी ईंधन व खाद्य पदार्थों की ही रही है। यही कारण है कि केवल ब्याज दर वृद्धि ही मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आज देश में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति व सुगम बनने व ईंधन के मूल्य को सहज व सहनीय बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए अगर विश्व स्तर पर विश्वेशी मुद्रा के उपयोग से खाद्य तेल व खनिज तेल के आयात को बढ़ाने की आवश्यकता है तो यह कार्य किया जाना चाहिए। सरकार को खाद्य पदार्थों व ईंधन पर मूल्य स्तर को घटाकर अन्य विलासिता पर अधिक कर लगाने की नीति अपनानी चाहिए। देश में लॉजिस्टिक तंत्र को और सुधारने की आवश्यकता है। सरकार को उत्पादों की उपलब्धता को सहज बनाने का कार्य करना होगा और उनकी उपलब्धता को कम मूल्य पर सुनिश्चित करना होगा। केवल ब्याज दर वृद्धि मुद्रा प्रसार दर को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट से हुई क्षतिपूर्ति के लिए राज्य आयोग को पुनः सुनवाई का आदेश

राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश आर.के. अग्रवाल एवं सदस्य एम श्रीसा के समक्ष एक याचिका उपबोक्ता कानून की धारा 2(1)(G) तथा 21(b) के अंतर्गत युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नरेश कुमार व अन्य संबंधित प्रकरण में विचारार्थ प्रस्तुत की गई। इस प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि शिकायतकर्ता को एक घरेलू गैस कनेक्शन सिलेंडर की रिफिलिंग करवाता रहा है। गैस एजेंसी के दौरान इंडियन ऑयल से अलवर स्थित अलवर इंडेन गैस एजेंसी से प्राप्त हुआ था। यह द्वितीय विपक्षी के माध्यम से प्राप्त हुआ था। वह समय-समय पर गैस सिलेंडर की रिफिलिंग करवाता रहा है। तथा गैस एजेंसी को प्रत्येक सिलेंडर की सप्लाई पर बीमा प्रीमियम का भुगतान भी प्राप्त होता रहा है। ताकि उसको प्रतिपक्षी बीमा कंपनी से थर्ड पार्टी बीमा सुरक्षा मिल सके। इसके अलावा गैस एजेंसी समय-समय पर सिलेंडर जांच शुल्क की भी वसूली करती रही है। 19.1.2011 को शिकायतकर्ता को सिलेंडर प्राप्त हुआ था और इसके बदले में गैस एजेंसी को खाली सिलेंडर दे दिया गया था। शिकायत में कहा गया कि गैस सिलेंडर के ऊपर नोजर पर रबड़ सील नहीं थी। शिकायतकर्ता ने समय-समय पर गैस एजेंसी से इस संबंध में शिकायत की, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं की गई, लेकिन हर बार कहा जाने लगा कि इसका कोई दुष्परिणाम नहीं होगा। गत 23.1.2011 को जब शिकायतकर्ता की मां खाना पका रही थी तथा पूर्व में लगा हुआ सिलेंडर खाली हो चुका था, तो उसके द्वारा इस नए सिलेंडर को गैस चूल्हे से जोड़ा गया और इसके साथ ही सिलेंडर में आग लग गई तथा संपूर्ण किचन में धुंआ हो गया था। उसी समय पड़सियों के द्वारा सिलेंडर को बाहर निकाला गया, लेकिन इस घटना से शिकायतकर्ता की मां जल गई। शरीर के अनेक हिस्सों पर जलने से शारीरिक पीड़ा हुई। इसी संदर्भ में एक एफआईआर भी दर्ज की गई। यह भी जानकारी मिली कि इंडियन ऑयल कंपनी तथा गैस एजेंसी इस बीमा

कंपनी के पास बीमति है तथा बीमा कंपनी इस क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है। यह क्षतिपूर्ति सिलेंडर के ब्लास्ट के कारण हुई है। शिकायतकर्ता ने अनेक बार गैस एजेंसी को इस संदर्भ में पहले ही शिकायत की थी तथा क्लेम के भुगतान हेतु कहा था, लेकिन गैस एजेंसी के द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके पश्चात उसने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत की तथा घर में हुए नुकसान व मानसिक तनाव शारीरिक क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का दावा किया गया। इसकी सुनवाई के दौरान इंडियन ऑयल की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ तथा गैस एजेंसी ने किसी प्रकार की लापरवाही होने से इनकार किया तथा कहा कि वे केवल रिफिल सिलेंडर की आपूर्ति करते रहे हैं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि नोजल पर किसी प्रकार की रबड़ सील होनी चाहिए, वे केवल इंडियन ऑयल के वितरक हैं। अतः इस घटना के लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं। बीमा कंपनी ने भी अपना लिखित पक्ष रखा तथा कहा कि उन्हें रिफिल की कोई जानकारी नहीं है। इस एजेंसी ने एक पैकेज पॉलिसी 29.4.2011 से 28.4.2012 की अवधि के लिए उससे ली है तथा शिकायतकर्ता ने बिना सील के ही सिलेंडर की सुपुर्दगी ली थी। यह उपभोक्ता शिकायतकर्ता के स्तर पर लापरवाही का संकेत मिलता है। ऐसे हालात में बीमा कंपनी इसके लिए उत्तरदायी नहीं है तथा उसका दायित्व केवल पॉलिसी की शर्तों तक ही सीमित है। इस घटना की कोई जानकारी उसको नहीं दी गई है। जिला उपभोक्ता फोरम ने अपने आदेश में शिकायत को स्वीकार करते हुए पीड़ित शिकायतकर्ता के पक्ष में 2 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति के भुगतान का आदेश दिया तथा 5000 रुपए मानसिक तनाव व खर्च के रूप में भुगतान किए जाने का निर्देश दिया। इस आदेश के विरुद्ध बीमा कंपनी के द्वारा राज्य आयोग के समक्ष अपील की गई, जिसको राज्य आयोग के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया तथा कहा कि जिला फोरम ने सभी तथ्यों के अध्ययन के पश्चात ही यह आदेश दिया है और इस

आदेश में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जिला फोरम के द्वारा उचित कारणों व तथ्यों के आधार पर ही उपभोक्ता के पक्ष में निर्णय दिया है। इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उपभोक्ता कानून उपभोक्ता को शीघ्र ही न्याय उपलब्ध करने के लिए लाया गया है तथा जिला फोरम व राज्य आयोग को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर ही निर्णय देना होता है। आयोग ने भी कहा कि उपरोक्त घटना पर पुनः विस्तार से चर्चा की आवश्यकता नहीं है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य धारा 3 अंतर्गत समय पर उपधाराओं के क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय आयोग ने उपरोक्त दोनों आदेशों के संदर्भ में कहा कि राज्य आयोग ने उचित कारण व तर्क के साथ आदेश की पुष्टि नहीं की है। आयोग ने कहा कि रिविजन पिटिशर के इस तर्क व आरोप में सच्चाई है कि राज्य आयोग ने बीमा कंपनी के अधिवक्ता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विशेष ध्यान नहीं दिया है, उसने सार्वजनिक दायित्व सीमित दायित्व व एलपीजी पैकेज पॉलिसी की शर्तों पर ध्यान नहीं दिया है। राज्य आयोग ने अपील को खारिज किए जाने के संदर्भ में कोई ठोस कारण नहीं बताया है। अतः राष्ट्रीय आयोग ने इस अपील को स्वीकार करते हुए राज्य आयोग के आदेश को खारिज किया और प्रकरण को पुनः राज्य आयोग के पास विचारार्थ रिमांड करने का आदेश दिया तथा आदेश देते हुए कहा कि राज्य आयोग सभी तथ्यों के परीक्षण व अध्यापन के साथ गुणदोष के आधार पर आदेश पारित करे। राज्य आयोग को तीन माह की अवधि में पुनः आदेश पारित किए जाने का निर्देश दिया गया। राष्ट्रीय आयोग ने इस प्रकरण को लेकर अपनी किसी प्रकार की राज्य इस आदेश में नहीं दी।

सूचना

इस पृष्ठ पर प्रकाशित सभी न्याय निर्णय मूल निर्णयों की नकल नहीं हैं। यह निर्णय मूल निर्णयों को पढ़कर पाठकों के हित के प्रकाशित किये गये हैं। आवश्यकता पड़ने पर मूल निर्णय को अवश्य देखें।

-संपादक

हेल्थ • सोसायटी • एज्युकेशन

नफा नुकसान

डिस्कलेमर

नफा नुकसान में प्रकाशित हर प्रकार के कंटेंट के जरिए पाठकों को कारोबारी जगत में हो रहे घटनाक्रमों की जानकारी, विश्लेषण, सूचनाएं आदि देने का प्रयास रहता है। इनमें से कई बार ऐसे से कंटेंट का प्रकाशन भी हो सकता है जो नफा नुकसान के पास उपलब्ध जानकारीयों से मेल नहीं खाता हो व अलग हो। इसलिए नफा नुकसान में प्रकाशित कंटेंट के आधार पर अगर कोई कैसा भी निर्णय करता है तो उसकी जिम्मेदारी नफा नुकसान नहीं लेता है। पाठक स्वयं अपने विवेक से ही निर्णय करें ऐसी अपेक्षा की जाती है। नफा नुकसान में जिन विज्ञापनों का प्रकाशन किया जाता है उनके बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि नफा नुकसान का किसी भी विज्ञापनदाता से विज्ञापन के अलावा अन्य कोई सरोकार नहीं है और न ही विज्ञापनों में दर्शाई सामग्री का कोई समर्थन नफा नुकसान द्वारा किया जाता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण व दावे के लिए विज्ञापनदाता ही जिम्मेदार होगा। नफा नुकसान में प्रकाशित कंटेंट लेखकों, न्यूज एजेंसी व संपादकीय विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं जिनपर पूरी तरह से नफा नुकसान का सर्वाधिकार है। नफा नुकसान में प्रकाशित किसी भी तरह के कंटेंट का किसी भी व्यक्ति, संस्थान या अन्य द्वारा बिना नफा नुकसान की लिखित अनुमति के प्रकाशन व प्रसारण किया जाना गैर-कानूनी होगा।

स्वत्वाधिकारी कुशाग्र पब्लिकेशन्स प्रा. लि. के लिए मुद्रक व प्रकाशक जितेन्द्र कोठारी द्वारा 52-53, कल्याण कॉलोनी, मालवीया नगर, जयपुर-17 (रजि. ऑफिस) एवं 204, गौरव टॉवर मालवीया नगर, जयपुर-17 (कार्यालय) से प्रकाशित एवं कुशाग्र पब्लिकेशन्स प्रा. लिमिटेड, एसपीएल-4(ए), सीतापुरा इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर से मुद्रित।

संपादक: वैभव कोठारी (पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी) फोन: 0141-4011151/52, 0141-3512564 ई-मेल : info@nafanuksan.com

ART OF MANAGEMENT

299

आज के युग में हर व्यक्ति तरह-तरह की समस्याओं से घिरा हुआ है। दुनिया में तरह तरह की समस्या है, लेकिन एक भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका को समाधान नहीं हो। ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान द्वारा समस्याओं का समाधान खोज लेते हैं। जिन्हें तैरना आता है वह पानी से डरते नहीं है एवं पानी में डूबते नहीं है। ऐसे ही जिन्हें ज्ञान होता है वह समस्या से घबराते नहीं एवं अपने ज्ञान से समस्या का समाधान ढूँढ लेते हैं। अगिन लगने पर सभी भली-भांति जानते हैं कि पानी द्वारा भीषण अग्नि को भी शांत किया जा सकता है। ऐसे ही ज्ञान द्वारा अशांत मन को भी शांत किया जा सकता है। अगर मन को शांत नहीं रखेंगे तो तरह-तरह की समस्याओं से त्रस्त हो जाएंगे। अतः मन को शांत रखना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में योगेश्वर श्रीकृष्ण ने मन को शांत रखने के बारे में काफी कुछ लिखा है। योगेश्वर श्रीकृष्ण जीवनभर तरह-तरह की समस्याओं से घिरे रहे लेकिन हर हाल में उन्होंने मन को शांत रखा एवं सफलतापूर्वक समस्याओं का समाधान निकाला। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् श्रीराम भी समस्याओं से जकड़े रहे , लेकिन शांत मन से उन्होंने भी हर समस्या का समाधान निकाला। हमें किसी भी हालत में धैर्य नहीं खोना चाहिए। अपने मन को शांत रखना चाहिए एवं हर हाल में स्वयं एवं भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। अगर हम भगवान से अपनी नजदीकी बनाए रखेंगे तो हमारा मन भी शांत रहेगा। रामायण में महान कवि संत तुलसीदास जी ने लिखा है हरि अनंत हरि कृपा अनंता, बिन हरि कृपा मिलें नहीं संता। उन्होंने यह भी लिखा है कि

समय की मांग

रफ्तारदा इक मंज है, कर लें इसका जाप। नष्ट रवत: हो जायेंगे, कई जन्म के पाप।। साधार:- शारदा-नवल डागा

आज का विचार

आग, आग से नहीं, पानी से शान्त होती है। - अज्ञात

शर्मा ईस्ट इण्डिया हॉस्पिटल एण्ड मेडिकल रिसर्च लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : जयपुर हॉस्पिटल, एस.एम.एच. स्टडियम के पास, लालकोठी, टॉक रोड, जयपुर-302015 (राज.) फोन: 0141-2742557, 2742266 • फैक्स: 0141-2742472 • CIN: L85110RJ1989PLC005206 ई-मेल: sharmaeastindia@gmail.com • वेबसाइट: www.jaipurhospital.co.in

30 सितम्बर, 2022 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्धवार्षिक वर्ष के गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार (रुपये लाखों में, प्रति शेयर डाटा को छोड़कर)

S. N.	Particulars	समाप्त तिमाही 30.09.2022 गैर अंकेक्षित	समाप्त तिमाही 30.06.2022 गैर अंकेक्षित	समाप्त तिमाही 30.09.2021 गैर अंकेक्षित	समाप्त अर्द्धवार्षिक वर्ष 30.09.2022 गैर अंकेक्षित	समाप्त अर्द्धवार्षिक वर्ष 30.09.2021 गैर अंकेक्षित	समाप्त वार्षिक वर्ष 31.03.2022 अंकेक्षित
1	परिचालनों से कुल आय	510.98	509.40	447.80	1,020.38	712.92	1709.72
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	17.09	17.99	27.56	35.08	39.64	83.22
3	(कर, असाधारण और / या असाधारण वस्तुओं से पहले)	17.09	17.99	27.56	35.08	39.64	83.22
4	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	7.97	17.99	17.25	25.96	29.33	68.01
5	(असाधारण और / या असाधारण वस्तुएं के बाद)	7.97	17.99	17.25	25.96	29.33	68.01
6	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि (कर के बाद) के लिए लाभकारी लाभ/ हानि और अन्य व्यापक आय	328.38	328.38	328.38	328.38	328.38	328.38
7	समता अंश पूँजी	0.24	0.55	0.53	0.79	0.89	2.07
8	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (संचालन जारी रखने और बंद करने के लिए) - 1. मूल 2. तरल	0.24	0.55	0.53	0.79	0.89	2.07

टिप्पणी : (1) उपरोक्त परिणामों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 04.11.2022 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया। कंपनी के वार्षिक लेखा परीक्षक ने 30 सितम्बर, 2022 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्धवार्षिक वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों की समिति समीक्षा की, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत आवश्यक है। (2) उपरोक्त परिणाम सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर तिमाही एवं अर्द्धवार्षिक वर्ष के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही/ अर्द्धवार्षिक वर्ष के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप कंपनी की वेबसाइट www.jaipurhospital.co.in और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। (3) पिछली तिमाही के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, पुनः व्यवस्थित, पुनः समूहीकृत एवं पुनः कास्ट किया गया है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार ह. / - शैलेंद्र कुमार शर्मा (प्रबन्ध निदेशक) DIN: 00432070

बिन सत्संग विवेक न होई, विन हरी कृपा सुलभ नहीं सोई। यानी कि हर हालत में हमें अच्छे लोगों का साथ चाहिए एवं हमें सत्संग करना चाहिए ताकि विवेक प्राप्त हो। मन को शांत रखने के कुछ तरीके निम्न हैं... 1.सुबह जल्दी उठें 2.योग और ध्यान 3.ईश्वर की पूजा करें एवं ईश्वर पर विश्वास रखें 4.सकारात्मक विचार रखें 5.ज्यादा ना सोचें 6.दुसरों से तुलना ना करें 7.भविष्य की चिंता ना करें 8.मन अशांत

होने का कारण ज्यादा सोचना बंद करें PM Bhardwaj Management & Motivation Consultant Ex CMD Instrumentation Ltd. & other PSU' s Email : pmb.jaipur@gmail.com

OSTWAL

पंजीकृत कार्यालय 5-ओ-20, बेसमेंट, आर.सी.व्यास कॉलोनी,भीलवाड़ा - 311001, राजस्थान सौआइएन - L2414RJ2004PLC019288 | फोन नं.- 01482-237104, फैक्स नं.-01482-239638 ई-मेल : secretarial@krishnaphoschem.com वेबसाइट : www.krishnaphoschem.com

30 सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही और अर्धवार्षिक वर्ष के गैर अंकेक्षित वित्तिय परिणामों के विवरण

(Regulation 47(1)(b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015] (रु. लाखों में राशि)

S. No.	Particulars	समाप्त तिमाही 30.09.2022 गैर अंकेक्षित	समाप्त तिमाही 30.06.2022 गैर अंकेक्षित	समाप्त तिमाही 30.09.2021 गैर अंकेक्षित	समाप्त अर्धवार्षिक 30.09.2022 गैर अंकेक्षित	समाप्त अर्धवार्षिक 30.09.2021 गैर अंकेक्षित	समाप्त वार्षिक वर्ष 31.03.2022 अंकेक्षित
1.	परिचालनों से आय	6,501.44	6,718.33	7,853.77	13,219.77	13,172.96	32,076.28
2.	शुद्ध लाभ / (हानि) (कर एवं असाधारण वस्तुओं से पहले)	1,179.72	730.89	646.33	1,910.61	1,585.75	4,278.27
3.	शुद्ध लाभ / (हानि) (कर से पहले एवं असाधारण वस्तुओं के बाद)	1,179.72	730.89	646.33	1,910.61	1,585.75	4,278.27
4.	शुद्ध लाभ / (हानि) (कर एवं असाधारण वस्तुओं के बाद)	977.21	609.82	428.70	1,587.03	1,077.36	2,946.33
5.	कुल व्यापक आय (कर एवं अन्य व्यापक आय के बाद)	977.21	609.82	428.70	1,587.03	1,077.36	2,945.22
6.	समता अंश पूँजी	3,091.38	2,963.88	2,740.00	3,091.38	2,740.00	2,963.88
7.	अतिरिक्त अंश पूँजी						19,139.54
8.	आय प्रति शेयर (रु.10/- प्रति का) (संचालन जारी रखने और बंद करने के लिए) 1. मूल 2. तरल	3.25 3.16	2.06 2.04	1.60 1.56	5.32 5.13	3.99 3.93	10.50 10.42

टिप्पणी : 1.उपरोक्त परिणामों की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई और तत्पश्चात निदेशक मंडल द्वारा 4 नवम्बर 2022 को आयोजित बैठक में अनुमोदित की गई। 2.उपरोक्त वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक (IND AS) के अनुसार तैयार किये गए हैं, इसके तहत जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़ें। 3.उपरोक्त वित्तीय परिणाम SEBI के विनियमन 33 (लिट्रिंग और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के तहत 30 सितम्बर 2022 को समाप्त हुए तिमाही व अर्धवार्षिक के विस्तृत प्रारूपों का सार है। तिमाही के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.seindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.Krishnaphoschem.com पर उपलब्ध है। निदेशक मंडल की ओर से हस्ताक्षरित /- (सुनील कोठरी) पूर्णकालिक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी DIN 02056569

स्थान- भीलवाडा तिथि- 04.11.2022

CMYK